



**BEFORE THE LEARNED BOARD OF REVENUE,**  
**BENCH AT GWALIOR**

Revision No. /2018

R/भारत/इंदौर/सं.सं.३३/२०१८/०१२०४

Surya Prakash Arora S/o Shri Gurucharan Arora, Director of M/s Million Traders Bhopal Private Limited, R/o G-2, 119, Gulmohar Colony, Trilanga, Bhopal (M.P)

...Applicant

V/s

Licensing Authority & Collector District Indore (M.P)

...Respondent

को. सं. सं. १६२०४  
16.2.18 को  
प्रस्तुत। प्रारम्भिक तर्क के  
दिनांक ०५.३.१८ निबन्ध।

के.स.  
कलेक्टर ऑफ कोर्ट 16.2.18  
राजस्थान मण्डल, म.प्र. इंदौर

**REVISION UNDER SECTION 62(2)(c) of M.P. Excise Act, 1915 AGAINST THE ORDER DATED 09.02.2018 PASSED BY EXCISE COMMISSIONER MADHYA PRADESH IN CASE NO.R.E.C./180/2017-18 PARTIES SURYA PRAKASH ARORA V/S LICENSING AUTHORITY BY WHICH THE ORDER DATED 15.01.2018 PASSED BY LICENSING AUTHORITY AND COLLECTOR, INDORE HAS BEEN CONFIRMED AND THE LICENSE GRANTED TO GROUP NO.IND/F-32 OF SHOPS IN GAVLI PALASIA HAS BEEN CANCELLED w.e.f.16.01.2018 UNDER SECTION 31 OF M.P. EXCISE ACT, 1915**

Q  
16/2/18

कलेक्टर, ग्वालियर  
18  
W

*(Signature)*

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/इन्दौर/आ.अ./2018/1204

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-4-2018	<p>आवेदक की ओर से श्री आनन्द भारद्वाज, अभिभाषक एवं अनावेदक शासन की ओर से श्री अजय चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित । शासकीय अभिभाषक द्वारा सूची दस्तावेज प्रस्तुत कर अभिलेख पर लिये जाने का अनुरोध किया गया । आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रकरण वापिस लिये जाने का अनुरोध किया गया । अतः आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रकरण लिये जाने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।</p>	<p>अध्यक्ष</p>